अधिक प्रभावी जीएसटी की तरफ

साभार: लाइव मिंट 14 नवंबर, 2017

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-III (अर्थव्यवस्था) से संबंधित है।

जीएसटी परिषद को तीन दरों की व्यवस्था की ओर बढ़ने की जरूरत है, साथ ही यहाँ जीएसटी के दर को विस्तृत करने की और अनुपालन प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित बनाने की आवश्यकता है।

नए वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) के लिए अतिदेय संक्रमण गलत स्तर पर शुरू हो गया है। इस टैक्स संरचना की तीन मुख्य समस्याएं है, जो इसे जटिल बना चुकी हैं जो बाद में विकृतियों का निर्माण तथा जटिल अनुपालन प्रक्रियाओं का निर्माण कर सकती हैं, जिससे कई छोटी कंपनियों में कार्यशील पूंजी में तनाव पैदा हो सकता है और जीएसटी नेटवर्क में तकनीकी विघटन भी हो सकता है।

कई अखबारों ने एक साल पहले टिप्पणी की थी कि भारत एक दोषपूर्ण जीएसटी की ओर बढ़ रहा है। दोषपूर्ण शुरुआत का एक हिस्सा राजनीतिक वास्तविकताओं से समझा जा सकता है। जीएसटी परिषद में जटिल संघीय सौदेबाजी ने स्वर्ण के लिए एक विशेष दर के साथ-साथ पांच-करों की दर के साथ-साथ मूल्य-वर्धित कराधान के बहुत ही बुनियादी सिद्धांतों के खिलाफ जाने वाले उपकरों के साथ-साथ पांच करों की व्यवस्था की।

दोषपूर्ण शुरुआत का एक अन्य हिस्सा कमजोर प्रोत्साहन डिजाइन द्वारा समझाया जा सकता है। अर्थशास्त्री इंदिरा राजारमन ने इस सन्दर्भ में कहा कि राज्यों के वित्त मंत्री खराब डिजाइन किए गए जीएसटी के विकास के प्रभाव के बारे में कम चिंतित थे, जहाँ नई दिल्ली ने अंतर्निहित नाममात्र सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि को मापने के लिए एक मुआवजा फॉर्मूला के बजाय वादा किया था कि वे आयकर राजस्व में 14% की बढ़ोतरी की गारंटी देते हैं।

जीएसटी परिषद द्वारा पिछले हफ्ते घोषित किए गए टैक्स दरों का युक्तिसंगत इस पृष्ठभूमि के खिलाफ स्वागत है। उम्मीद है कि यह एक स्वच्छ जीएसटी वास्तुकला की दिशा में पहला कदम है और कम दोषपूर्ण व्यवस्था की ओर बढ़ने की आशा उम्मीद से जल्द ही होगी।

असम के वित्त मंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने द हिंदू के साथ एक साक्षात्कार में कहा है कि लक्ष्य को 28% स्लैब से दूर रखना चाहिए। जम्मू और कश्मीर के वित्त मंत्री हसीब डारबु ने ट्वीट किया कि एक मानक दर, योग्यता के सामान की दर और दोषपूर्ण वस्तुओं के लिए दर होगी। ये सार्थक लक्ष्य हैं। अर्थशास्त्रियों ने जीएसटी में चार महीने के बाद ही बदलाव करने की तीन मुख्य वजहें बताई हैं। पहला कारण बताते हुए उन्होंने कहा कि जीएसटी के रेट मैकेनिकल तरीके से तय किए गए थे। इसके लिए पहले के टैक्स रेट में वैट और सीएसटी जोड़ा गया और फिर उससे सबसे करीब के स्लैब में रखा गया। ऐसे कई आइट्म्स थे जिन पर 12.5 प्रतिशत की उत्पाद शुल्क लगती थी, लेकिन अधिकतर छोटे और लघु उद्योग इन्हें बनाते थे, जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम था और उन्हें उत्पाद शुल्क नहीं देनी होती थी। ऐसे में जीएसटी का टैक्स स्लैब इनके लिए काफी ज्यादा था। दूसरा कारण यह बताया गया है कि कई एक जैसे उत्पाद थे, जिन्हें अलग-अलग टैक्स रेट में रख दिए गए थे। यह आगे विवाद का कारण बन सकते थे, इसलिए इनमें सुधार जरूरी था।

उम्मीद के अनुरूप कम कर स्लैब शुरू हो गए हैं। जीएसटी परिषद ने पिछले हफ्ते सबसे महत्वपूर्ण निर्णय यह लिया कि मूल सूची के मुकाबले 50 करों के मुकाबले शीर्ष कर दरों पर मदों की संख्या में कटौती करना है, जो लगभग पांच गुना बड़ा है। जीएसटी नेट में करीब आधा वस्तु और सेवाएं अब 18% के मोडल रेट पर लगाए जाएंगे। और तीन में से दो आइटम या तो 12% या 18% पर कर लगाए जाएंगे। सबसे तार्किक कदम अब इन दो दरों को एक मध्यम अवधि के लक्ष्य के साथ जोड़ा जाना है, ताकि कर योग्य वस्तुओं और सेवाओं का 90% कुछ नई मोडल दर पर है, यह देखा जा सके। दूसरे शब्दों में, नए मानक दर के नीचे कर की दर में आने वाली वस्तुओं की केवल एक छोटी सूची होगी और दोषपूर्ण वस्तुओं की एक छोटी सूची पर नई मानक दर से अधिक कर लगाई जानी चाहिए।

इस तरह के तर्कसंगत प्रभाव का अर्थ होगा कि अप्रत्यक्ष कर की दरें उनके मौजूदा स्तर से कम हैं, उच्च आर्थिक विकास के साथ यह भी सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि वित्तीय खाते को नुकसान न पहुँचे।

भारतीय जीएसटी दर ज्यादातर अन्य देशों की तुलना में कहीं ज्यादा है। जहाँ एक कारण अपर्याप्त कवरेज की समस्या है। देखा जाये तो केवल करीब आधी भारतीय अर्थव्यवस्था ही जीएसटी के दायरे में आती है, इसलिए जो कुछ भी कर लगाया जाता है, उसे कड़े रूप में लगाया जाना चाहिए। पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, शराब, बिजली, रियल एस्टेट और निर्माण जैसे महत्वपूर्ण वस्तुओं को जीएसटी नेट से बाहर रखा गया है, जिसका मुख्य कारण राजनीतिक है। इन वस्तुओं को जीएसटी नेट में लाने के लिए केंद्र सरकार को राज्यों के साथ काम करना चाहिए। जो व्यापक कवरेज अधिक मध्यम जीएसटी दरों के लिए जगह बनायेगी।

हालांकि, यह कहना भी गलत नहीं होगा की एक गड़बड़ जीएसटी भी उन अप्रत्यक्ष करों की सुर्खियों से बेहतर है, जिसके बदले इसे लाया गया है। जीएसटी का मौलिक वादा अभी भी महत्वपूर्ण है। जैसा कि हमने पहले भी तर्क दिया है कि जीएसटी भारतीय बाजार को एकीकृत करेगा, मध्यवर्ती वस्तुओं की बजाय अंतिम उपभोग के लिए आर्थिक क्षमता को बढ़ावा देगा, स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहित करेगा और सहकारी संघवाद के लिए एक नई संरचना तैयार करेगा। अप्रत्यक्ष कर प्रणाली के लिए यहाँ मगरमच्छ के आँसू बहाने का कोई औचित्य नहीं है।

जीएसटी परिषद का काम आगे के महीनों में हुआ है। इसे तीन दरों की एक प्रणाली की ओर बढ़ने की जरूरत है, एक मध्यम मानक दर जिस पर अधिकतर वस्तुओं पर टैक्स लगाया जाता है, जीएसटी नेट की चौड़ाई में पेट्रोलियम और रियल एस्टेट जैसी वस्तुओं को शामिल करना, सेस हटाना और अनुपालन प्रक्रियाओं को व्यवस्थित करना, ताकि आपूर्ति श्रृंखला कामकाजी पूंजी तनाव के परिणामस्वरूप बंद ना पड़ जाए।

संबंधित तथ्य

जीएसटी

- भारत में आम नागरिकों पर दो तरह के टैक्स लगते हैं- प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। आयकर और कॉर्पोरेट टैक्स इत्यादि प्रत्यक्ष कर हैं। बिक्री कर और सेवा कर इत्यादि अप्रत्यक्ष कर हैं। संविधान में 122वें संशोधन विधेयक के जरिए देश में लगने वाले सभी अप्रत्यक्ष करों की जगह 1 जुलाई, 2017 से केवल एक टैक्स "वस्तु एवं सेवा कर" लगाया जाएगा। दुनिया के 150 से अधिक देशों में ऐसी ही कर व्यवस्था लागू है।

जीएसटी की पृष्ठभूमि

- वस्तुत: जीएसटी के रूप में देश को एक ऐसी एकीकृत अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था प्राप्त होने वाली है, जो न केवल संपूर्ण भारत को एकल बाजार के रूप में प्रस्तुत करेगी वरन् समानता भी प्रदान करेगी।
- जीएसटी के अंतर्गत जहाँ एक ओर केंद्रीय स्तर पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, सेवा कर, काउंटरवेलिंग ड्यूटी जैसे अप्रत्यक्ष कर शामिल होंगे, वहीं दूसरी ओर राज्यों में लगाए जाने वाले मुल्यवर्द्धन कर, मनोरंजन कर, चुंगी तथा प्रवेश कर, विलासिता कर आदि भी जीएसटी के अंतर्गत सम्मिलित हो जाएंगे।
- जीएसटी के लागू होने से सरकार के साथ-साथ व्यापार एवं उद्योग जगत तथा आम उपभोक्ता सभी लाभान्वित होंगे। स्पष्ट है कि यदि ऐसा होता है तो इसका देश की अर्थव्यवस्था पर बहुत ही सकारात्मक प्रभाव होगा।

उपकर

- उपकर एक प्रकार का कर होता है, इसे किसी विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति हेतु लगाया जाता है।
- संविधान के अनुच्छेद 270 के तहत, उपकर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इससे प्राप्त आय को विशेष रूप से संघ द्वारा रोका जा सकता है तथा इसे राज्यों के साथ साझा किये जाने की भी आवश्यकता नहीं है।
- उपकर के मामले में इस विशेष स्थिति को प्रदत्त करने का मुख्य उद्देश्य इससे प्राप्त आय को किसी विशिष्ट उद्देश्य हेतु खर्च करना है, जैसा कि वित्त आयोग की चौथी रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है।

उपकर के संबंध में संवैधानिक प्रावधान

- 12वें संविधान संशोधन विधेयक, 2014 की धारा -18 के अंतर्गत राज्यों को उनके नुकसान की भरपाई करने के लिये 1% अतिरिक्त कर का प्रस्ताव किया गया था, लेकिन संशोधन अधिनियम को लागू करते समय इस प्रस्ताव को वापस ले लिया गया।
- हालाँकि, संविधान संशोधन अधिनियम, 2016 में अपनाई गई धारा -18 के अनुसार, जी.एस.टी. परिषद की सिफारिशों के संबंध में संसद द्वारा राज्यों को पाँच वर्षों की अवधि के लिये मुआवजा उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। तथापि इसके अंतर्गत भी किसी अन्य प्रकार के अतिरिक्त कर के संबंध में कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं किया गया है।
- इसके अतिरिक्त संविधान के अनुच्छेद 279 । (4) (f) के अंतर्गत, किसी प्राकृतिक आपदा या विपत्ति के दौरान संसाधनों में अतिरिक्त वृद्धि करने हेतु जी.एस.टी. परिषद की विशेष दरों को अधिरोपित करने संबंधी सिफारिश करने की शक्ति को सीमित किया गया है।
- ऐसा करने का एकमात्र उद्देश्य यह है कि ऐसी किसी भी स्थिति में इस प्रकार लगाए गए उपकर को उचित नहीं ठहराया जा सकता है।
- इसके अलावा, 101वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2016 के अनुच्छेद 271 के अंतर्गत यह संशोधन किया गया है कि जी.एस.टी. की दरों के ऊपर एवं इससे अधिक दर पर अतिरिक्त कर अथवा अधिभार को अधिरोपित नहीं किया जा सकता है।
- उक्त विवरण से ऐसा प्रतीत होता है कि मानो उपकर को लागू करने के संबंध में संसद अप्रत्यक्ष रूप से वह कार्य कर रही है, जिसे वह प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर सकती है।

संभावित प्रश्न

देश को एक बाजार के रूप में पिरोने और अब तक के सबसे बड़े अप्रत्यक्ष कर सुधार के लिए मील का पत्थर माने जा रहे 'जीएसटी' आज सवालों के घेरे में है। इस कथन के सन्दर्भ में इस प्रणाली में व्याप्त कमियों और इसके निदानों की चर्चा कीजिये। **(200 शब्द)**

GST, which is considered to be a milestone in the form of a market and considered to be the milestone for the biggest indirect tax reform so far, is in the midst of questions today. Discuss the deficiencies and its diagnoses of this system in relation to this statement. **(200 words)**